Anne 1 — 4/17

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर, 1981

कार्तिक 21, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग—2

संख्या 5881/37-2-81-13 एल ए-81

लखनऊ, 12 नवम्बर, 1981

अधिसूचना

प० आ०-म503

1—भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकारी, लखनऊ द्वारा लखनऊ की जनता के लिए लखनऊ जिले में सीतापुर रोड नगर विस्तार योजना के लिये आवश्यकता है।

2—चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की, जो कृष्य है, लखनऊ विकास प्राधिकारी लखनऊ द्वारा लखनऊ की जनता के लिये, लखनऊ जिले में सीतापुर मार्ग नगर विस्तार योजना के अधीन मकानों के निर्माण के लिये अत्याधिक आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में सम्भावित विलम्ब को निवारित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

खाता 6/17

क्रम-संख्या—639

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4—खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 3 दिसम्बर, 1981

अग्रहायण 12, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग—2

संख्या 7759/37–2–81–13एल-ए-81

लखनऊ, 3 दिसम्बर, 1981

अधिसूचना

प० आ०—502

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या-5881/सैंतीस–2–81-13 एल०ए०-81, दिनांक 12-11-1981 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन लखनऊ जिले में सीतापुर रोड नगर विस्तार योजना के अधीन मकानों के निर्माण के लिये अ बश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन लखनऊ के कलक्टर को निदेश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिए कार्यवाही करें।

2—चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला अत्ययिक (अर्जेन्ट) है, इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय, नहीं दिया गया है, लखनऊ के कलक्टर, उक्त लोक प्रयोजन के लिए, अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर जो कृष्य है, कब्जा, धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

1	2	3	4	5			
				बी0	वि0	वि0	क0
लखनऊ	लखनऊ	पहाड़पुर—(समाप्त)	93	0	8	1	0
			94	0	8	1	0
			95	0	8	10	0
			96	3	0	6	0
			97	1	9	6	0
			98	3	12	17	0
			99	1	12	12	0
			10	1	1	17	0
			102	4	6	18	0
			104	2	10	10	0
			105	3	12	9	0
			106	2	3	4	0
			107	3	5	19	0
			109	1	5	7	0
			110	1	19	2	0
			111	3	2	5	0
			113	1	6	10	0
			114	0	19	6	0
			115	3	3	0	0
			116	2		10	0
			118	0	11	0	0
			19	0	0	0	0
			120	0	10	0	0
			21	4	7	2	0
			127/1	0	2	10	0
				15	13	11	0
"	"	जाहिदपुर	1	1	0	0	0
			2	2	6	0	0
			3/1	0	1	10	0
			3/3	1	1	10	0
			4	1	5	0	0
			5	1	2	10	0
			6/1/1	0	9	11	0
			6/1/2	0	9	11	0
			6/3	0	5	10	0
			7	1	6	0	0
			8	1	8	0	0
			11	1	7	15	0
			12/1	0	8	7	0
			12/3	0	7	0	0
			13	1	10	0	0
				18	8	4	0
	"	अतरौली	1	0	14	8	0
			2	0	13	18	0
			3	1	15	0	0
			4	1	13	6	0

1	2	3	4	5			
				बी0	वि0	वि0	क0
लखनऊ	लखनऊ	अतरौली—(समाप्त)	5	0	16	4	0
			6	0	11	10	0
			7	4	1	3	0
			8/1	2	0	0	0
			8/2	1	13	0	0
			9	2	18	0	0
			10	4	6	0	0
			11	2	13	0	0
			12	1	14	0	0
			13	1	15	0	0
			14	1	12	0	0
			15	2	19	0	0
			16	2	11	0	0
			17	2	18	0	0
			18	1	5	10	0
			19	0	19	0	0
			20	1	12	0	0
			21	1	12	0	0
			22/1	1	16	10	0
			22/2	1	13	10	0
			23	1	17	0	0
			24	1	18	0	0
			25—अ	2	9	0	0
			25—ब	0	5	0	0
			26—अ	0	5	0	0
			26—ब	2	9	0	0
			27	3	1	10	0
			28	2	6	0	0
			29	2	3	0	0
			30	3	8	0	0
			31/1	1	1	0	0
			31/2	1	0	0	0
			31/3	1	1	0	6
				69	6	9	0
		कुल योग ..	2,444	6	19	0	0
							1,527·72 एकड़

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—जिला—लखनऊ के सुनियोजित विकास हेतु "सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना" हेतु ।

टिप्पणी :—उक्त भूमि का नक्शा जिला लखनऊ के कलक्टर या विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नगर महापालिका, के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

आज्ञा से,
के० एस० त्रिपाठी,
विशेष सचिव ।